भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **114**
गुरुवार, 02 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>देश में विमानपत्तन</u>

114. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

श्री मारगनी भरत:

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विमानपत्तनों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक निजीकरण किए गए विमानपत्तनों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का और अधिक विमानपत्तनों का निजीकरण करने का विचार है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजीकरण के लिए विमानपत्तनों का चयन किन मानदंडों के आधार पर किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार ने निजी विमानपत्तनों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)</u>

(क) वर्तमान में, देश में 147 प्रचालनिक हवाईअड्डे हैं, जिनमें 136 हवाईअड्डे, 02 वाटर एयरोड्रम और 09 हेलीपोर्ट शामिल हैं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दीर्घकालीन पट्टा आधार पर प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में अपने आठ हवाईअड्डों को पट्टे पर दिया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के 25 हवाईअड्डे नामत: भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल,

अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी को वर्ष 2022 से वर्ष 2025 की अवधि के दौरान पट्टे पर देने के लिए चिह्नित किया गया है।

इन हवाईअड्डों जिनमें बड़े और छोटे हवाईअड्डों का संयोजन वाले, हवाई अड्डे शामिल हैं, को दो मापदंडों यथा वार्षिक यातायात का प्रारंभिक स्तर (वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 में 0.4 मिलियन यात्रियों से अधिक) और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के अनुसार बड़े पैमाने पर चालू/प्रस्तावित पूंजीगत व्यय योजना वाले हवाई अड्डे के आधार, पर एनएमपी के तहत पट्टाकरण/मुद्रीकरण के लिए चिह्नित किया गया है।

(ड.) और (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पीपीपी भागीदारों के साथ किए गए रियायत समझौतों के अनुसार, उनके द्वारा कार्यनिष्पादन और अनुपालन, एएआई द्वारा स्वतंत्र इंजीनियरों, लेखापरीक्षकों, निरीक्षणों आदि के माध्यम से की जाने वाली आवधिक निगरानी के अध्यधीन है।

*****